



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 श्रावण 1947 (श10)

(सं० पटना 1404) पटना, मंगलवार, 19 अगस्त 2025

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2025

सं० 1/IML-07/2017, श्र०सं०/4927—जहाँ, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को अनुदान, लाभ और सेवाएँ सुविधाजनक तथा निर्बाध तरीके से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने के लिए अनेक दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल करता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और जहाँ, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श के उपरान्त, अपने पत्र संख्या eF- No-13(18)/2022-EG-II, दिनांक 12 अगस्त 2025 द्वारा, Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 के नियम 3 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग को अनुमति दी है कि वह आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए आधार प्रमाणीकरण कर सके और आधार (वित्तीय एवं अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पढ़े गए उक्त नियम 5 के अंतर्गत अधिसूचना जारी करे।

और जहाँ, उक्त नियम 3 के उप-नियम (1) के अनुसार, बिहार प्रवासी कामगार ऐप/पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान बिहार के प्रवासी कामगारों के सत्यापन हेतु आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा, तथा यह आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा और श्रम संसाधन विभाग केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए ही यह प्रमाणीकरण करेगी, ताकि सुशासन सुनिश्चित हो, कामगारों के जीवन को सरल बनाया जा सके और बिहार सरकार की सेवाओं तक उनकी बेहतर पहुँच सुनिश्चित हो सके।

अतएव उपर्युक्त नियम 5 तथा अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के साथ पढ़े गए प्रावधानों के तहत, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिसूचना जारी की जाती है:-

- 1 श्रम संसाधन विभाग बिहार प्रवासी कामगार ऐप/पोर्टल पर पंजीकरण के दौरान बिहार के प्रवासी कामगारों के सत्यापन हेतु आधार संख्या धारक कामगार की सहमति प्राप्त करेगा।
- 2 नियम 3 के उप-नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक आधार पर होगा। श्रम संसाधन विभाग आधार संख्या धारक को वैकल्पिक और उपयुक्त पहचान साधनों की जानकारी देगा तथा आधार प्रमाणीकरण से इन्कार करने या उसमें असमर्थ होने पर किसी भी सरकारी सेवा से वंचित नहीं करेगा।
- 3 यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

आदेश से,
राजीव रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1404-571+200-डी0टी0पी0
Website : <https://egazette.bihar.gov.in>